दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग –।

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 15जून, 2001/ज्येष्ठ 25, 1973 (शक)

अंक: 57

1. 11:00 पूर्वाह्न वन्देमातरम्

2. 11:05 पूर्वाह्न **शोक संवेदना:** माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रथम विधान सभा (1993–98) के सदस्य श्री सूरज प्रसाद पालीवाल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की । मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, डॉ0 जगदीश मुखी, नेता प्रतिपक्ष और श्री शीशपाल तथा श्री नन्द किशोर गर्ग ने भी श्री पालीवाल के निधान पर शोक संवेदना व्यक्त की ।

इसके उपरान्त सदन ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया ।

3. 11:15 पूर्वाह्न **सदन के पटल पर रखे गए पत्र:**
मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित पत्रों की प्रति सदन पटल पर रखी:
(I) जन शिकायत आयोग का 31.3.1999 को समाप्त अवधि के लिए कार्यवाई रिर्पोट सहित प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन ।
(II) जन शिकायत आयोग का 31.3.2000 को समाप्त अवधि के लिए कार्यवाई रिपोर्ट सहित प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन ।

4. 11:17पूर्वाह्न **मुख्य मंत्री के विरूद्ध श्री जगदीश आनन्द द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था:**
माननीय सदस्य ने सूचना दी कि मुख्य मंत्री ने वीरेन्द्र प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु विशेष सत्र बुलाकर विशेषाधिकार का हनन किया है, क्योंकि मंत्रिमण्डल ने रिपोर्ट का अनुमोदन पहले ही कर दिया है और वह भारत सरकार को अग्रसारित की जा चुकी है और इसलिए विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं थी । माननीय अध्यक्ष ने इस आधार पर विशेषाधिकार हनन की सूचना को अस्वीकार कर दिया कि माननीय उप–राज्यपाल महोदय सत्र को आहूत करते हैं न कि मुख्य मंत्री और क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधिनियम के अन्तर्गत माननीय उप राज्यपाल में निहित इस प्रकार की शक्ति को किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना के रूप में नहीं लाया जा सकता ।

5. 11:20 पूर्वान्ह **प्रस्ताव:**डॉ0 ए.के. वालिया, स्वास्थ्य एवं शहरी विकास मंत्री ने दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली एवं संरचना की समीक्षा पर वीरेन्द्र प्रकाश समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा तथा प्रतिवेदन को सदन की समिति को निर्दिष्ट करने हेतु एक प्रस्ताव रखा:
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:
I) श्री सुभाष चौपड़ा
II) डॉ0 जगदीश मुखी
III) श्री अरविन्दर सिंह लवली

......2/-

6. 1:00 अपराह्न **भोजन अवकाश**

7. 2:05 अपरान्ह सदन पुनः समवेत हुआ । प्रस्ताव पर चर्चा जारी और निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:

(4) श्री नन्द किशोर गर्ग

(5) श्री अजय माकन

(6) श्री भीष्म शर्मा

(7) श्री राम भज

(8) श्री महाबल मिश्रा

(9) डॉ0 नरेन्द्र नाथ, उद्योग मंत्री

(10) श्री साहब सिंह चौहान

(11) श्रीमती किरन चौधरी

(12) श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

7. 4:00 अपरान्ह **जलपान अवकाश**

8. 4:35अपराह्न सदन पुनः समवेत हुआ । प्रस्ताव पर चर्चा जारी:

(13) श्री जगदीश आनन्द

(14) डॉ0 हर्षवर्धन

(15) श्री शोएब इकबाल

(16) श्री माला राम गंगवाल

9. 5:25 अपराह्न (श्री मोती लाल बोकोलिया पीठासीन हुए)

(17) श्री शादी राम

(18) चौ0 मतीन अहमद

(19) श्री रूप चन्द

(20) श्री नसीब सिंह

(21) श्री कंवल सिंह यादव

(22) श्रीमती अंजली राय

(23) श्री सुशील चौधरी

10. 6:05 अपराह्न मुख्य मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया ।

तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने डॉ0 जगदीश मुखी को अपना संशोधन प्रस्तुत करने को कहा ।
डॉ0 जगदीश मुखी ने अपना निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया:
"कि शब्द "दर्ज करता है" से लेकन चौथे पैराग्राफ के अंतिम शब्द "उद्देश्य" (ऑब्जेक्टिव) को हटा दिया जाए ।"
संशोधन को ध्वनि मत के लिए रखा गया
डॉ0 जगदीश मुखी के आग्रह पर मत विभाजन मांगा गया ।
14 सदस्य संशोधन के पक्ष में और 42 विरोध में थे ।
इस प्रकार संशोधन अस्वीकार कर दिया गया ।

.....3/-

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया ।

भाजपा सदस्य श्री नन्द किशोर गर्ग और श्री साहब सिंह चौहान वापस आए और श्री नन्द किशोर गर्ग ने अपने संकल्प की सूचना के बारे में जानकारी मांगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थापित संसदीय परंपराओं और पूर्व उदाहरणों के अनुसार जब भी कभी सरकार तथा किसी गैर सरकारी सदस्य से एक समान विषय पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो हमेशा सरकार से प्राप्त सूचना को प्राथमिकता दी जाती है और इसीलिए सरकार से प्राप्त सूचना को प्राथमिकता दी गई तथा सूचीबद्ध किया गया ।

तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गयाः

"यह सदन –

दर्ज करता है –

"कि दिल्ली नगर निगम की देख–रेख के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रों में निगम सेवाओं की बदतर स्थिति पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है ।

ध्यान करता है –

"कि अक्षमता एवं गैर जिम्मेदारी तथा व्यापक भ्रष्टाचार और अपव्यय एवं निगम प्राधिकरणों को कुंठित करने वाली गैर जिम्मेदारी से राजधानी के लोगों में उत्पन्न सर्वव्यापी असन्तोष का –

अपने संकल्प की अभिव्यक्ति करता है –

"कि राजधानी के सभी नागरिकों को हमेशा विश्व स्तर के समान उपयुक्त नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार किसी भी मामलों को ठीक करने में कोई प्रयास बाकी न रहे ।

और इस अविवादित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ––

सिफारिश करता है –

"कि वर्तमान भारी भरकम तथा अनियंत्रणीय दिल्ली नगर निगम को छोटे, कम दायरे वाले, और सक्रिय नागरिक निकायों में बदला जाना चाहिये ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि वर्तमान की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात रख सकें ताकि वास्तविक रूप में 74वां संविधान संशोधन की भावना को मद्देनजर रखते हुए, जो स्व. प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के आदर्शवादी विचारों की देन है, के द्वारा वार्ड समितियों की विधिवत् प्राप्त अधिकारों से कार्य प्रणाली में दक्षता मिले ।

इस लक्ष्य को उपाय के रूप में, यह सदन दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली और संरचना की समीक्षा पर वीरेन्द्र प्रकाश समिति के प्रतिवेदन में सम्मिलित सुझावों और अनुशंसाओं

.....4/–

पर गहराई से अध्ययन करने हेतु सदन के सात सदस्यों की समिति का गठन करता है ताकि विस्तृत अनुसंशाओं को अन्तिम रूप प्रदान किया जाये जो कि उपयुक्त संसदीय कानून हेतु अनुरोध के साथ केन्द्र सरकार को अग्रसारित की जा सके ।"

प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ ।

6:40 सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ ।

राष्ट्र गान – जन गण मन

दिल्ली ।
दिनांक:15जून, 2001.

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART I
(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

FRIDAY, THE 15TH JUNE 2001/JYESHTA 25, 1923 (SAKA)

No.57

1 11.00 AM VANDE MATARAM

2 11.05 AM <u>OBITUARY:</u> The Chair made obituary reference on the passing away of Sh. Suraj Prasad Paliwal, member of the First Assembly (1993-98). Smt. Shiela Dikshit Chief Minister, Dr. Jagdish Mukhi Leader of the Opposition,and Ch. Shishpal and Sh. Nand Kishore Garg also expressed their grief over the passing away of Sh. Paliwal.

Thereafter the House observed two minutes silence as a mark of respect towards the departed soul.

3 11.15 AM <u>PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE:</u>
The Chief Minister laid the following papers on the Table of the House:

i) Ist Annual Report of the Public Grievances Commission along with action Taken Report for the period ending 31.3.1999.

ii) IInd Annual Report of Public Grievances Commission along with action Taken Report for the period ending 31.3.2000.

4 11.17 AM <u>RULING OF THE CHAIR ON A NOTICE OF BREACH OF PRIVILEGE GIVEN BY Sh. JAGDISH ANAND AGAINST THE CHIEF MINISTER:</u>
The Member had given notice to the effect that the Chief Minister had committed a breach of privilege by calling the Special Session to discuss the Virendra Prakash Committee Report, as the Cabinet had already approved the Report and forwarded the same to the Government of India and therefore the Special Session was not necessary. The Chair disallowed the notice of breach of privilege on the grounds that it was the Lt. Governor who summons a session and not the Chief Minister and as such this power of the Lt. Governor vested in him under the NCT Act could not be challenged by any Member in the garb of a notice of breach of privilege.

5 11.20 AM <u>MOTION</u>: Dr. AK Walia, Minister for Health and Urban Development moved a motion for discussion on the recommendations of the Report of Virendra Prakash Committee on the Review of the Working and Structure of the MCD and for referring the Report to a Committee of the House:
The following members participated in the Discussion:

i) Sh. Subhash Chopra

ii) Dr. Jagdish Mukhi

iii) Sh. Arvinder Singh Lovely

1.00 PM Lunch Break

2.05 PM The House reassembled. The discussion on the Motion continued and the following Members participated:

iv) Sh. Nand Kishor Garg
v) Sh. Ajay Maken
vi) Sh. Bhisham Sharma
vii) Sh. Ram Bhaj
viii) Sh. Mahabal Mishra
ix) Dr. Narender Nath, Minister for Industries
x) Sh. Sahab Singh Chauhan
xi) Smt. Kiran Chaudhry,
xii) Sh. Tarvinder Singh Marwah

4.00 PM Tea Break

4.35 PM House reassembled. The discussion on the Motion continued.

xiii) Sh. Jagdish Anand
xiv) Dr. Harshvardhan
xv) Sh. Shoaib Iqbal
xvi) Sh. Mala Ram Gangwal

5.25 PM (Sh. Motil Lal Bokolia in Chair)

xvii) Sh. Shadi Ram
xviii) Ch. Mateen Ahmed
xix) Sh. Roop Chand
xx) Sh. Naseeb Singh
xxi) Sh. Kanwal Singh Yadav
xxii) Smt. Anjali Rai
xxiii) Sh. Sushil Chaudhry

6.05 PM The Chief Minister replied to the discussion.

The Chair thereafter asked Dr. Jagdish Mukhi to move his amendment to the Motion.
Dr. Jagdish Mukhi moved his amendment which read as follows:
"that the words from 'Records' up to the 4th Paragraph with last word as 'objective' should be deleted".
The amendment was put to voice vote.
On the request of Dr. Jagdish Mukhi a division was called for.
14 members stood in favour of the amendment and 42 against.
The amendment was thus negatived.

As a mark of protest the BJP Members staged a walkout.

Sh. Nand Kishore Garg and Sh. Sahab Singh Chauhan, BJP Members returned and Sh. Nand Kishor Garg sought to know the fate of the notice of his resolution.

The Chair ruled that as per prevailing parliamentary practices and precedences whenever notices on a similar subject were received from the Government and also a private member, priority was always given to the notice received from the Government and hence the notice received from the Government was given priority and listed.

The following Motion was thereafter put to vote:
"THIS HOUSE

RECORDS—
its grave concern over the appalling state of municipal services in the areas of the NCT of Delhi under the care of MCD;

TAKES NOTE OF —
universal dissatisfaction of the people of the Capital arising out of frustrating unresponsiveness of the municipal authorities' inefficiency and unaccountability, and widespread corruption and wastage;

EXPRESSES ITS RESOLVE —
to spare no effort whatsoever to set matters right by empowering the citizenry to receive civic services befitting a world-class city that the Capital has always been;
and
in order to achieve this indisputable objective
RECOMMENDS —
that the existing unwieldy and unmanageable MCD be replaced by smaller, lean and dynamic municipal bodies, having more effective say of elected representatives than at present and working efficiently through duly empowered Ward committees in keeping with the letter and spirit of the 74^{th} Constitutional Amendment – a product of the visionary concept of the Late Prime Minister Sh. Rajiv Gandhi;
as a means to this end, this House constitutes a seven member Committee of the House to study in-depth the recommendations and suggestions contained in the Report of Virendra Prakash Committee on the Review of the Working and Structure of the MCD in order to finalise the detailed recommendations to be forwarded to the Union Government with request for appropriate Parliamentary Legislation."

The Motion was carried by voice vote.

6.40 The House adjourned *sine-die*.
NATIONAL ANTHEM- JANA GANA MANA

Delhi
Dated: 15th June 2001.

SK SHARMA
SECRETARY